न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 215/2021   2021/611

वादी :–

प्रभूराम पुत्र हराराम कौम कुम्हार

नि. सिमरखिया

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

भेराराम, धानाराम, गेनाराम, सोनाराम, पप्रूराम

पिता हराराम कौम कुम्हार नि. सिमरखिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री   स्वंय वादी।

2..श्री   स्वंय   प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 23.11.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 700/347 रकबा 14-09 बीघा, सरहद मौजा सिमरखिया तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम प्रेमाराम होने से राजस्व रेकर्ड में प्रेमाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम प्रभूराम .... दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज प्रेमाराम के स्थान पर प्रभूराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:19:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ....प्रेमाराम.... के स्थान पर ....पुरूराम.... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ....भू अभिलेख पचपदरा.... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ....700/347.... रकबा ....14-09.... बीघा, सरहद मौजा ....सिमरखिया.... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ....प्रेमाराम.... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ....पचपदरा.... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ....प्रेमाराम.... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ....पुरूराम.... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ....700/374.... रकबा 14-09 .... रकबा .... बीघा, सरहद मौजा ....सिमरखिया....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....प्रेमाराम.... पुत्र ....हराराम.... के स्थान पर ....पुरूराम.... पुत्र ....हराराम.... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ....23-11-2021.... को कैम्प कोर्ट ....सिमरखिया.... में मजमे **आम में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:19:03 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट....सिमरखिया....

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
प्रभुराम पुत्र हीराराम जाति कुम्हार नि॰ सिमरखिया तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		भैराराम, धानाराम, भेनाराम, सोनाराम, प्रभुराम पिता हीराराम कौम कुम्हार नि॰ सिमरखिया राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफ़िसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ....स्वयं.... ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ....स्वयं.... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ....700/347.... रकबा ....14-09.... बीघा, सरहद मौजा ....सिमरखिया....
....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....प्रेमाराम.... पुत्र ....हीराराम.... ...... के स्थान पर ....प्रभुराम.... पुत्र ....हीराराम.... खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....23.11.2021.... को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:19:03 IST
Reason: SelfAttested